ISSN: 2582-6433

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed JournalMulti Disciplinary
Peer Reviewed6th Edition

VOLUME 2 ISSUE 7

www.ijlra.com

 ISSN: 2582-6433

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions ofthe authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume 2 Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner whatsever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in the Journal.

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis

ISSN: 2582-6433

EDITORIAL TEAM

EDITORS

Megha Middha

Megha Middha, Assistant Professor of Law in Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, Sikar

Megha Middha, is working as an Assistant Professor of Law in Mody University of Science and Technology, Lakshmangarh, Sikar (Rajasthan). She has an experience in the teaching of almost 3 years. She has completed her graduation in BBA LL.B (H) from Amity University, Rajasthan (Gold Medalist) and did her post-graduation (LL.M in Business Laws) from NLSIU, Bengaluru. Currently, she is enrolled in a Ph.D. course in the Department of Law at Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Rajasthan). She wishes to excel in academics and research and contribute as much as she can to society. Through her interactions with the students, she tries to inculcate a sense of deep thinking power in her students and enlighten and guide them to the fact how they can bring a change to the society

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board

ISSN: 2582-6433

Dr. Namita Jain

Head & Associate Professor

School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC - NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India.India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time & Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi.(2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020).Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on March 14th, 2019

Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr. Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi.Formerly Assistant professor of Law,Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8Articles in various reputed Law Journals. Conducted 1Moot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration.10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.

Avinash Kumar

Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship.He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi.Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi.He has qualified UGC – NET examination and has been awarded ICSSR – Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ISSN: 2582-6433

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANLAYSIS ISSN
2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.

www.ijlra.com
Volume 2 Issue 7 | December 2022
ISSN: 2582-6433

पर्यावरण संरक्षण हेतु न्यायपालिका का दृष्टिकोण

अर्चना तिवारी

सार

पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिये समय–समयपर सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किया जाता रहा है कि कैसे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाय। इसके साथ ही साथ न्यायपालिका इस सम्बन्ध में कठोर कदम उठाये गये हैं। लोगों को पर्यावरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण के सम्बन्ध में जागरूक बनाने के लिए वादों के माध्यम से सराहनीय प्रयास किया जाता रहा है।

मुख्य शब्द– पर्यावरण, पर्यावरणीय संरक्षण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायालय की सक्रियता, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय।

प्रस्तावना

पर्यावरण विधिशास्त्र के विकास में भारतीय उच्चतर न्यायालयों– उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों की प्रमुख भूमिका रही है। वास्तविक मूल्यांकन से यह प्रतीत होता है कि मानव पर्यावरण एवं विकास, पोषणीय विकास, अन्तपदी न्याय प्रदूषक भुगतान करे पारिस्थति को संतुलन आदि से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय मानदण्डों–स्टॉकहोम घोषणा 1972 और पृथ्वी शिखर घोषणा 1992 की प्रतिबद्धता न्यायालय ने बढ़ी जागरूकता के साथ निभाया है। कुछ एक मामलों को छोड़कर जैसे यूनियन कार्बाइड का मामला) न्यायालय समय की गति के साथ बढ़ता नजर आया है। कार्यपालिकीय एवं विधायी निष्क्रियता के कारण न्यायालयों को ये भी कार्य करने पड़े हैं जो तकनीकी और पारम्परिक तौर पर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आते हैं। कार्यपालिका और विधायिका को सक्रिय बनाने के प्रयास में न्यायालयों को न्यायिक सक्रियता का सहारा लेना पड़ा है। न्यायालयों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के नये आयाम के अन्तर्गत पर्यावरणीय अधिकारों के संरक्षण का प्रयास तो किया ही है इसके साथ इसे समय, वस्तुपरक एवं पारदर्शी बनाने हेतु विशेषज्ञ समितियों की स्थापना कर तथ्यात्मक एवं तकनीकी विशेषज्ञ ज्ञान प्राप्तकर विषयों को सुलझाने का प्रयास किया है। प्राधिकारियों को सांविधिक कर्तव्यों के निर्वहन एवं अनुपालन हेतु निर्देश जारी किया है। निगरानी हेतु उपाय सुझाया है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय में 'हरित पीठ' स्थापित कर पर्यावरणीय मामलों के त्वरित निस्तारण की बात की है। न्यायालय ने सृजनात्मकता एवं क्रियाशीलता का परिचय देकर पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार

ISSN: 2582-6433

में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण के प्रति जागृति एवं पारिस्थतिकीय सन्तुलन के बारे में जानकारी हेतु कई मामलों में निर्देश जारी किया। एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ (1992)[1] में उच्चतम न्यायालय ने निम्न निर्देश जारी कियाः

''सिद्धान्त के रूप में हम स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के बारे में जागरूकता और प्रदूषण से सम्बन्धित इसकी समस्याओं के बारे में अनिवार्य विषय के रूप में अध्यापन किया जाना चाहिए। महान्यायवादी ने न्यायालय को अवगत कराया कि केन्द्र सरकार उच्च शिक्षा से सम्बन्धित है अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययनों तक ही इसे लागू कर सकती है। शेष राज्य का विषय है। उन्होंने सहमति व्यक्त की है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग न्यायालय के कहने के अनुसार त्वरित रूप में समुचित कदम उठाकर विश्वविद्यालयों में पर्यावरण पर पाठ्यक्रम विहित करेगा। वे कालेज स्तर पर इसे अनिवार्य विषय बनाने की सम्भावना पर विचार करेंगे। जहाँ तक कॉलेज स्तर की शिक्षा का प्रश्न है हम राज्य सरकार तथा शिक्षा बोड़ों से अपेक्षा करेंगे कि वे मैट्रिकुलेशन तथा इण्टरमीडियट स्तर पर श्रेणीबद्ध तरीके से पर्यावरण को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करें। ऐसा इस तरह होना चाहिए कि दूसरे सत्र से इस अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित हो।''

परन्तु **एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ (2004)**[2] के वाद में पिटीशनर ने विभिन्न राज्यों अथवा अन्य प्राधिकारियों द्वारा उठाये गये कदम पर्याप्त नहीं है और उच्चतम न्यायालय के आदेश को भावना एवं ध्येय से संगत नहीं है। उनका तर्क था कि राज्य केवल प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा तथा स्नातकोत्तर स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में पर्यावरण जागरुकता पर पाठ्यक्रम बनायें उनका यह सुझाव था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एन०सी०ई०आर0टी० और ए०आई०सी०टी०ई० जो उच्च शिक्षा की मानक को चिह्नित एवं नियन्त्रित करने वाले निकाय है, उन्हें निर्देशित किया जाय कि वे पूरे देश में एकरूपता हेतु विभिन्न स्तरों पर अध्यापन हेतु पाठ्यक्रम तैयार करें। उच्चतम न्यायालय ने कम से कम वर्ष 2004—2005 से आवश्यक रूप से लागू करने (यदि पहले से लागू न हो तो) का निर्देश दिया तथा प्राधिकारियों को निदेशित किया कि वे लागू करने को निगरानी करें तथा अनुपालन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित करें उच्चतम न्यायालय ने एन०सी०ई०आ०टी० को 18.12.2003 को निर्देशित किया कि वह मापदण्ड पाठ्यक्रम तैयार करें। पुनः **एम०सी० मेहता बनाम भारत संघ (2005)**[3] के मामले में एन0सी०ई० आर०टी० द्वारा राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से विचार विमर्श कर पर्यावरण पर माप पाठ्यक्रम कक्षा ट से गपप तक के छात्रों हेतु अध्ययन के लिए उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर किया। उच्चतम न्यायालय ने इसे स्वीकार किया तथा राज्यों को निर्देश दिया कि 8 सप्ताह के अन्तर्गत (22—4—2014 से) एन०सी०ई०आर०टी० की रिपोर्ट को लागू करें।

 ISSN: 2582-6433

पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार को प्रकृति से न्यायालयों की भूमिका सीमित एवं अंतिम हथियार के रूप में गिने चुने मामलों में है जो न्यायालय तक पहुँच पाते हैं। न्यायालयों ने और विशेषकर उच्चतम न्यायालय ने उपचार प्रक्रिया में शिथिलता बरत कर लोकहित वाद के माध्यम से उपचारात्मक दायरे का विस्तार करने का प्रयास किया है। इसके अन्तर्गत किसी लोकहित भावना से प्रेरित व्यक्ति के पत्र को रिट पिटीशन मानकर तथा लोकहित वादों को स्वीकार कर उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरणीय उपचार प्रदान करने का प्रयास किया है परन्तु कुछ मामलों में न्यायालय ने स्वयं महसूस किया है कि लोकहित वादों का दुरुपयोग हो सकता है और लोकहित के नाम पर कुछ लोग व्यक्तिगत हित पूरा करने के लिये न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। **सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य**[4] के मामले में एक लोकहित वाद दायर किया गया कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के वाशरी से उत्सर्जित गन्दा जल बोकारो नदी में छोड़ा जा रहा था जिससे जल पीने और सिंचाई उद्देश्यों के लिये अनुपयुक्त हो गया था। उच्चतम न्यायालय ने दस्तावेजों के आधार पर यह पाया कि पिटीशनकर्ता स्वयं कम्पनी के वाशरिज से कीचड़ इत्यादि एकत्रित करना चाहता था इसलिये न्यायालय ने पिटीशन को खारिज कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत अनुच्छेद 21 में दिये गये मूल अधिकार का प्रवर्तन वास्तविक रूप में सामाजिक हित में दिलचस्पी रखने वाले लोगों द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकता है। यद्यपि कि अनुच्छेद 21 में प्रदूषणहीन स्वच्छ जल और वायु का अधिकार सम्मिलित है फिर भी लोकहित वादकारिता ऐसे लोगों द्वारा नहीं लायी जा सकती जो व्यक्तिगत हित संतुष्ट करना चाहते है या व्यक्तिगत ईर्ष्या या दुश्मनी से प्रेरित हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हित के कारण प्रदूषणकारी गतिविधियाँ अप्रदूषणकारी नहीं हो जायेंगी और न ही उनसे होने वाली पर्यावरणीय हानि से कोई कमी होगी। लोकहित वाद वैसे ही बहुत कम दायर होते हैं। न्यायालय को सार्वजनिक हित को देखते हुए ऐसे मामलों में भी अनुतोष प्रदान करना चाहिए।

एक तो उच्चतम न्यायालय में लोकहित वाद सामान्य लोगों की पहुँच के बाहर है और दूसरी तरफ जो निर्णय होते हैं उनका प्रभाव बहुत सीमित होता है। इसलिए पर्यावरणीय मामलों में उपचार प्रदान करने की सही प्रक्रिया पर्यावरणीय न्यायालयों की स्थापना हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने इसे ध्यान में रखकर पर्यावरणीय न्यायालय स्थापित करने की सिफारिश दिल्ली गैस रिसाव के मामले[5] में की थी। 1989 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को तरह पर्यावरण न्यायालय विधेयक लाने का प्रयास किया गया जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायालय और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के लिये पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की योजना थी परन्तु यह योजना छोड़ दो गयी और 1992 में राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण के आशय का बिल लाया गया जो परिसंकटमय पदार्थों वाली गतिविधियों से उत्पन्न मामलों में क्षति हेतु प्रतिकर का उपबन्ध करता है। इसका क्षेत्र बहुत सीमित है और यह कई आधारों पर आपत्ति योग्य माना गया है। इस तरह राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 पर्यावरण न्यायालय अधिनियम का विकल्प नहीं बन सका है।

ISSN: 2582-6433

उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिये जाते हैं उनका प्रभाव निरोधात्मक नहीं हो पाता है। उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्णयों के बावजूद नगरपालिकाओं द्वारा समुचित सफाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है इसी तरह ध्वनि प्रदूषण पर स्पष्ट निर्देश के बावजूद निर्धारित ध्वनि सीमा से काफी ऊँची आवाज पर लाउडस्पीकरों और वाद्यों का प्रयोग किया जा रहा है। शायद यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय ने कतिपय मामलों में जनजागृति को आवश्यकता को महसूस किया है। विश्व स्तर पर भी यह स्वीकार किया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्याएँ वैश्विक बन गयी हैं। उनका निराकरण सभी देशों और गैर सरकारी संगठनों तथा समाज के सभी वर्गों के सहयोग से ही संभव हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने भी **एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ (दिल्ली पर्यावरण मामला)**[6] में स्पष्ट किया कि जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण के सम्बन्ध में विधियों का निर्माण करना पर्याप्त नहीं है। जब तक समाज में लोगों द्वारा स्वीकार करने का तत्व नहीं पनपता कोई विधि प्रभावकारी ढंग से कार्य नहीं कर सकती। मानव आचरण विहित विधि के अनुसार हो इसके लिए आवश्यक है कि विधि की क्या अपेक्षा है और उसकी स्वीकारोक्ति के पीछे क्या दर्शन है। इस दिशा में समुचित जागृति उत्पन्न की जानी चाहिये यह तभी सम्भव होगा जब सभी लोगों में विधि को अपेक्षा कार्य करने की आवश्यकता के बारे में जागृति उत्पन्न की जाय। इस दिशा में जागृति उत्पन्न करना सरकार का दायित्व है और समाज का यह दायित्व है कि समाज के हर स्तर के लोगों को इस बारे में पर्याप्त शिक्षा प्रदान करे। उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को यह आदेश जारी किया कि वह राज्य सरकार और संघ क्षेत्रों को निर्देशित करे कि सिनेमा हालों, चलचित्रों, वीडियों दुकानों में सुनिश्चित करे कि प्रत्येक शो के बीच कम से कम पर्यावरण सम्बन्धी एक छोटा वृत्त चित्र/समाचार दिखायें सूचना मंत्रालय पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हुए और स्वच्छ पर्यावरण के लाभों को बताते हुए लघुकालिक फिल्मों का निर्माण करे दूरदर्शन और आकाशवाणी प्रतिदिन 5 से 7 मिनट तक का पर्यावरण सम्बन्धी समाचार प्रकाशित करे और इस विषय पर नियमित साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करे। शिक्षा बोर्ड हाईस्कूल स्तर तक पर्यावरण की अनिवार्य शिक्षा लागू करे तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेज शिक्षा के स्तरों पर पर्यावरण की अनिवार्य पढ़ाई को सम्भावना पर विचार करे।

कतिपय नीतिगत मामलों में न्यायालयों का निर्णय सर्वमान्य नहीं हो पाता है क्योंकि विकास को दृष्टि से बड़ी योजनाओं और उससे प्रभावित लोगों के मूल अधिकार के बीच समुचित सामंजस्य नहीं हो पाया है। सरदार सरोवर परियोजना के लम्बे अवधि तक **नर्मदा बचाओ आन्दोलन**[7] के कारण रोके रहने के बाद उच्चतम न्यायालय के तीन में से दो न्यायाधीशों द्वारा सरदार सरोवर बांध की ऊँचाई 90 मीटर तक ले जाने की अनुमति से विवाद उत्पन्न हो गया है और नर्मदा बचाओ आन्दोलन से सम्बद्ध लोगों का यह तर्क है कि उच्चतम न्यायालय के इस आदेश से प्रभावित आदिवासी जनसंख्या के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है। 85 मीटर बांध की ऊँचाई रखने से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु सफल प्रयास नहीं हो सका है और न्यायालयों ने प्रतिकर सम्बन्धी दावों के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। चार चरणों में बांध की ऊँचाई 90 मीटर, 100 मीटर, 110 मीटर तथा 13868 मीटर ले जाने की है जो

ISSN: 2582-6433

क्रमशः जून 2000, जून 2003, जून 2004 तथा जून 2005 में क्रियान्वित होगी। इसी तरह का जटिल मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली शहर से उद्योगों को बाहर ले जाने के बारे में 4 साल पहले दिये गये आदेश को लागू करने से उत्पन्न हुआ है। अवमानना कार्यवाही में न्यायालय उद्योगों को बाहर भेजने पर दृढ़ संकल्पित है वहाँ सम्बन्धित उद्योगों की तरफ से उग्र आन्दोलन किये जा रहे हैं। नवम्बर 2000 के तृतीय सप्ताह की घटनायें स्वयं समस्या का उद्घाटन करती हैं। केन्द्र और राज्य सरकार की तरफ से मास्टर प्लान संशोधित करने का प्रस्ताव है तथा राज्य सरकार न्यायालय से सम्बन्धित उद्योगों को हटाने के लिए 2002 तक का समय मांग रही है। इसमें सबसे विचित्र बात यह है कि 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाकर नये स्थान पर स्थापित करने के आदेश के बाद 1700 उद्योग स्थापित किये गये हैं। यह प्रशासकीय पर्यावरणीय उपेक्षा का स्पष्ट दृष्टान्त है।

उपसंहार

अन्ततः उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विभिन्न पर्यावरणीय विधियों सम्यक् प्रवर्तन प्रक्रिया के अभाव तथा प्राधिकारियों को उपेक्षा के कारण अपेक्षित उद्देश्य पूरा करने में असफल रही हैं। न्यायालय दिशा निर्देश दे सकता है लेकिन वह प्रशासकीय प्राधिकारियों का विकल्प नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन सम्बन्धी सूचनाओं को अत्यधिक रूप से प्रसारित किया जाय, गैर सरकारी संगठनों को और ज्यादा सक्रिय बनाया जाय तथा जनसाधारण को पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न खतरों के बारे में शिक्षित कर सजग बनाया जाय जिससे वे पर्यावरणीय समस्या के समाधान हेतु चुने हुए निकायों और प्राधिकारियों पर दबाव बना सकें।

संदर्भ सूची

1. सु०को० केसेज 358 में पैरा 6 पृ0 361
2. सु०को० केसेज 571
3. सु0को0 केसेज 217
4. ए0आई0आर0 1991, सु0को0 420
5. ए0आई0आर0 1980, सु0को0 1633
6. ए0आई0आर0 1994 सु0को0 382
7. (1985) 5 सु0को0 केसेज 586